

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के 1.) अर्जुन मुण्डा मिता-स्व. चैता मुण्डा 2.) अजय कुमार मुण्डा पिता- चमन मुण्डा; ग्राम- सुगिया , थाना- माण्डू , जिला- रामगढ़ (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- सुगिया, थाना सं. 177 खाता सं.- 28, के अधीन प्लॉट सं.- 68, 69, 70, 71, 58, 61, 92, 94, 96, 442; कुल रकबा - 04.00 एकड़ के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट [http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) सी.सी.एल, राँची एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (कुजू क्षेत्र), सी.सी.एल, के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उपरोक्त दस दिनो के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।

विनायक  
२१/१२/२४  
भुरप्त प्रकैष्ठ (रखना)